**भारत सरकार**
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5587**
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

**कंपनी कानून में संशोधन**

**5587. श्री नारणभाई काछड़ियाः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्याप्त सरकारी शेयरधारिता वाली कंपनियों सहित कई कंपनियों द्वारा उनकी आय की तुलना में प्रति शेयर कम लाभांश घोषित करने की आम प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया है जिससे शेयरधारकों का हित प्रभावित होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कंपनी कानून में उपर्युक्त संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क):** किसी कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा का नियमन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और इसके अधीन नियमों के तहत किया जाता है। इन सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किसी कंपनी को इस धारा के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन और इसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों के लिए लाभांश की घोषणा और भुगतान करने हेतु लाभ अलग रखने का अधिकार है। इन प्रतिबंधों में कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में वितरित की जाने वाली राशि पर एक सीमा रखी गई है। इन सीमाओं को तर्कसंगत/पर्याप्त माना जाता है।

**(ख) और (ग):** जी, नहीं।

*****